

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली
बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री प्रभुलाल पिता लालुराम खटीक निवासी पलानाकलां तहसील घासा।

.....वादी

बनाम

1. तारा पुत्री मोहनलाल भांभी निवासी पलानाकलां, तहसील घासा।
2. दुर्गा पुत्री मोहनलाल भांभी निवासी पलानाकलां, तहसील घासा।
3. रामीबाई पत्नी मोहनलाल भांभी निवासी पलानाकलां, तहसील घासा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घासा तहसील, घासा।
5. पटवारी, पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील घासा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 168/24 (वाद) जीसीएमएस : 2024/390

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-
वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का, पलानाखुर्द तहसील, घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 405 पर दर्ज आराजियात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर)	किस्म	लगान
1	तारा पुत्री मोहनलाल हिस्सा 1/3 जाति भांभी सा. देह खातेदार, दुर्गा पुत्री मोहनलाल हिस्सा 1/3 जाति भांभी सा. देह खातेदार, रामीबाई पत्नी मोहनलाल हिस्सा 1/3 जाति भांभी सा. देह खातेदार,	3448/1 3449/1	0.0900 0.3794		
	योग	किता-02	0.4694	-	-
	2	प्रभुलाल पुत्र लालुराम जाति खटीक निवासी पलानाकलां तहसील मावली जिला उदयपुर खातेदार	3448/2 3449/2	0.1042 0.3652	
योग		किता-02	0.4694	-	-

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **19.02.2026** को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

